

नशीली दवाओं की तस्करी में इंटरनेट की भूमिका

प्रलिस के लिये:

नशीली दवाओं की तस्करी में इंटरनेट की भूमिका, [अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, नशीली दवाओं की तस्करी](#)।

मेन्स के लिये:

नशीली दवाओं की तस्करी में इंटरनेट की भूमिका, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिये की गई पहल।

[स्रोत: आई. एन. सी. बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड](#) ने अपनी वर्ष 2023 की [वार्षिक रिपोर्ट](#) में इस बात पर प्रकाश डाला कि ऑनलाइन [नशीले पदार्थों की तस्करी](#) ने अवैध बाजार में दवाओं की उपलब्धता बढ़ा दी है।

नशीले पदार्थों की तस्करी:

- नशीली दवाओं की तस्करी से तात्पर्य **अवैध दवाओं का उत्पाद, निर्माण, वितरण और बिक्री से जुड़े** अवैध व्यापार से है।
- इसमें अवैध दवा व्यापार से जुड़ी गतिविधियों की एक वसितृत शृंखला शामिल है, जिसमें **कोकीन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और सथेटिक जैसी दवाओं** के उत्पादन के साथ-साथ इन पदार्थों का परिवहन तथा वितरण भी शामिल है।
- नशीली दवाओं की तस्करी **आपराधिक संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के भीतर संचालित** होती है जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों तक फैली हुई है।

अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- **क्षेत्रीय औषधि आपूर्ति रुझान:**
 - अफगानिस्तान में अवैध अफीम पोस्त की खेती (Opium Poppy Cultivation) और हेरोइन उत्पादन में प्रभावशाली तरीके से गिरावट आई है।
 - **उत्तरी अमेरिका में ओपिओइड संकट (Opioid Crisis) के गंभीर परिणाम** जारी हैं और मेथाडोन के अलावा अन्य सथेटिक ओपिओइड से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो वर्ष 2021 में 70,000 से अधिक तक पहुँच गई है।
 - मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठन **अमेज़न बेसिन में अवैध खनन**, अवैध कटाई और वन्यजीव तस्करी में अपने कार्यों का वसितार करना जारी रखते हैं।
 - कोलंबिया और पेरू में अवैध कोका झाड़ी की खेती का रिकॉर्ड स्तर क्रमशः 13% तथा 18% बढ़ गया।
 - कोकीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण पारगमन क्षेत्र पश्चिम और मध्य अफ्रीका में वर्ष 2021 में कोकीन की बरामदगी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
 - ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान में यूरोप और ओशनिया में अवैध रूप से **नरिमिमेथामफेटामाइन की तस्करी** के लिये **दक्षिण एशिया** को तेज़ी से नशाना बनाया जा रहा है।
 - प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय राज्य नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों के पारगमन स्थलों से सथेटिक दवाओं के लिये गंतव्य बाजारों में बदल गए हैं।
 - यह समुदायों और उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कर रहा है।
- **ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी में चुनौतियाँ:**
 - ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी का परदृश्य वकिसति हो रहा है, जो नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिये नई चुनौतियाँ पेश कर रहा है।

- इंटरनेट पर अवैध दवाओं की बढ़ती उपलब्धता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आपराधिक समूहों द्वारा शोषण और फॉटेनाइल जैसे सथिटिक ओपओइड की ऑनलाइन उपलब्धता के कारण ओवरडोज से होने वाली मौतों का जोखिम महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग:
 - मादक पदार्थों की तस्करी के लिये अपराधी वैध ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं।
 - जाँच में पकड़े जाने से बचाव के लिये एन्क्रिप्शन वधियों, डारकनेट पर अज्ञात ब्राउज़िंग और क्रिप्टोकॉर्रेसी का उपयोग किया जाता है जिससे ऑनलाइन तस्करी के अपराधों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
 - फ्रांस के वधिप्रवर्तन अधिकारियों ने 60,000 मोबाइल फोन से 120 मिलियन से अधिक टेक्स्ट संदेश एकत्र किये।
- रोगी सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ:
 - इंटरनेट पर अवैध फार्मेसी उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सक परामर्श के बिना औषधियों का वक्रिय करते हैं जिससे मरीज़ की सुरक्षा को जोखिम हो सकता है।
 - उपभोक्ताओं के लिये यह जानना असंभव है कि उनके द्वारा क्रय की गई दवाएँ जाली हैं, अस्वीकृत हैं अथवा अवैध हैं।
 - अवैध दवा फार्मास्यूटिकल्स का वैश्विक व्यापार अनुमानित रूप से 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- अनुशंसाएँ:
 - चुनौतियों के बावजूद, मादक दवाओं के उपयोग की रोकथाम, जागरूकता अभियान तथा औषधि उपचार सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के अवसर हैं।
 - सरकारें वधि रूप से युवाओं के बीच मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिये अभियान चलाने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती हैं।
 - टेलीमेडिसिन और इंटरनेट फार्मेसी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार कर सकती हैं और मादक दवाओं के उपयोग से संबंधित विकारों वाले रोगियों तक पहुँचने में मदद कर सकती हैं तथा अधिक लोगों तक औषधि उपचार सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।
 - मादक दवाओं के उपयोग के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी साझा करने और अशुद्ध दवाओं की चेतावनियों को संप्रेषित करने के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है।
 - अवैध दवा निर्माताओं को प्रतर्बिधति पदार्थों को समान विकल्पों से बदलने से रोकने के लिये एम्फैटेमिनि-प्रकार और फॉटेनल के कुछ उत्तेजक पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय नयित्रण लगाना।
 - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए आगामी खतरों की पहचान करने तथा प्रभावी समाधान विकसित करने के लिये सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नयामक अधिकारियों और नजी कषेत्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।
 - INCB मादक दवाओं की तस्करी के लिये वैध ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग का समाधान करने के लिये अभिकर्त्ताओं से स्वैच्छिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड:

- इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) [संयुक्त राष्ट्र](#) अंतरराष्ट्रीय दवा नयित्रण अभिसमयों के कार्यान्वयन के लिये स्वतंत्र एवं अर्द्ध-न्यायिक नगिरानी नकिया है।
- इसकी स्थापना नारकोटिक ड्रग्स कन्वेंशन, वर्ष 1961 के अनुसार वर्ष 1968 में की गई थी।
- इसका सचवालय ऑस्ट्रिया के वयिना में स्थित है।
- इसका सचवालय ऑस्ट्रिया के वयिना में स्थित है।
 - भारत का [नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो](#), INCB के साथ सहयोग करता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

- इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियम, 1985 के तहत किया गया था।
- यह गृह मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है।
- स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संवधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है जो राज्य को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीली दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतर्बिध लगाने का प्रयास करने का नरिदेश देता है।

नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिये भारत द्वारा क्या पहल की गई है?

- [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियम, 1985](#): यह किसी व्यक्ति को किसी भी नशीले पदार्थ या मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परविहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है।
 - अधनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये [NDPS अधनियम, 1985](#) के एक प्रावधान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नयित्रण के लिये राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया था।
- [नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना](#): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018-25 के लिये दवा की मांग में कमी हेतु एक योजना तैयार की है।
 - यह योजना नशीली दवाओं पर नरिभर व्यक्तियों की नवारिक शकिका, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के साथ-साथ सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशकिका व कषमता

नरिमाण पर केंद्रति है ।

- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):** मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से नपिटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के दृष्टिकोण के लिये वर्ष 2020 में NMBA शुरू किया गया था । यह एक त्रि-आयामी योजना है जिसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आपूर्ति पर अंकुश
 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा आउटरीच एवं जागरूकता व मांग में कमी के प्रयास
 - स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार
- **नशीली दवाओं के खतरे से नपिटने के लिये अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:** भारत नमिनलखिति अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है:
 - [नशीली दवाओं पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(1961\)](#)
 - [स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(1988\)](#)
 - साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1971)
 - अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC) 2000

नषिकर्ष

- मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे को संबोधित करने के लिये व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है जिसमें कानून प्रवर्तन प्रयास, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सीमा नयितरण उपाय एवं अत्यधिक मांग में कमी की पहल शामिल हो ।
- अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के आपूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों से नपिटकर, सरकारें तथा समुदाय इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिये मलिकर काम कर सकते हैं ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भरषटाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC)] का 'भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के वरिद्ध एक प्रोटोकॉल' होता है ।
2. UNCAC अब तक का सबसे पहला वधिति: बाध्यकारी सार्वभौम भरषटाचार-नरीधी लखित है ।
3. राष्ट्र-पार संगठित अपराध के लिये वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (UNTOC)] की एक वशिषिटता ऐसे एक वशिषिट अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जनिसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी ।
4. मादक द्रव्य और अपराध वषियक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय [यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स ऐंड क्राइम (UNODC)] संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC तथा UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिये अधदिशति है ।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

केस स्टडी: एक सीमांत राज्य के एक ज़िले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनयितरति हो गया है । इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शकिषा व्यवस्था लगभग ठप हो गई है । संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्त के कगार पर है । इन अपुष्ट खबरों से कस्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चधाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है । ऐसे समय परस्थिति को सामान्य करने के लिये एक महिला पुलिस अधिकारी जो ऐसी परस्थिति से नपिटने के लिये अपने कौशल के लिये जानी जाती है, पुलिस

अधीक्षक के पद पर नयुक्त कयल जातल है ।

प्रश्न. यदल आप वही पुलसल अधकलरल हैं तल संकट के वभलनलन आयलमों कल चहलनलतल कलजयल । अपनी समझ के अनुसार, संकट कल सामनल करने के उपाय भी सुझलइये । (2019)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/role-of-the-internet-in-drug-trafficking>

